रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 29, 2004/कार्तिक 7, 1926
No. 476] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2004/KARTIKA 7, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2004

सा. का. नि. 710(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क विभाग श्रेणी 'ग' पर भर्ती नियम, 1979 तथा सीमा शुल्क विभाग (श्रेणी 'ग') भर्ती नियम, 1979, को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक (ज्येष्ठ श्रेणी), आशुलिपिक (सामान्य श्रेणी), आशुलिपिक श्रेणी 2 और आशुलिपिक श्रेणी 3, के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या किए जाने से लोप किया गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में आशुलिपिक श्रेणी 2 और आशुलिपिक श्रेणी 3, समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग आशुलिपिक श्रेणी 2 और आशुलिपिक श्रेणी 3 भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **विशेष उपबंध**—(1) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (जिसे इसमें बोर्ड कहा गया है), द्वारा जब तक कि अन्यथा निदेशित न किया जाए, प्रत्येक आयुक्तालय का अपना पृथक काडर होगा।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए, संबद्ध आयुक्तालय पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का मुख्य आयुक्त या सीमा शुल्क का मुख्य आयुक्त, यदि वह अनुकम्पा के आधार पर ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो वह आदेश कर सकेगा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय या सीमा शुल्क आयुक्तालय में इन नियमों के अधीन कोई पद, जिसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, यथास्थिति आयुक्तालय या निदेशालय या बोर्ड के किसी अन्य कार्यालय के काडर में वही या सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा, ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए कि स्थानांतरणकर्ता और स्थानांतरित व्यक्ति के काडर को नियंत्रित करने वाले प्राधिकारियों के अनुमोदन के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी। ऐसे स्थानांतरण इस विनिर्दिष्ट शर्त के साथ होंगे कि प्रतिनियुक्ति आधार के लिए कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय असैनिक सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. आशुलिपिक श्रेणी 2	490* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ग'' अराजपत्रित अनुसचिवीय	5000-150 8000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
18 से 25 वर्ष के मध्य। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भर्ती अभिकरण द्वारा यथा विज्ञापित होगी।	(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता, और (ii) आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या ओमलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या ओमलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (सीधी भर्ती केवल तब की जा सकेगी जब पोषक श्रेणी की पर्याप्त संख्या न हो या जब पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने की संभावना नहीं है)	ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-III में से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, के आधार पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां श्रेणी में उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने श्रेणी में सेवा की विहित अर्हक सेवा अवधि पूरी नहीं की है किन्तु उन्होंने विहित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 4000-100-6000 रु. या समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो। प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :— (I) एकल आयुक्तालय वह आयुक्तालय जहां सामान्य काडर नहीं हैं। (i) काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित मुख्यालय का अपर आयुक्त —अध्यक्ष (ii) काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित मुख्यालय कार्यालय के अधिमानत: ज्येष्ठतम दो उपायुक्त —सदस्य (iii) आयकर आयुक्त द्वारा नाम निर्देशित आयकर उप आयुक्त या सहायक आयुक्त —सदस्य **टिप्पण :** जहां उपर्युक्त क्रम संख्यांक (i) से (iii) में कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक समूह 'क' अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नत समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त होगा (II) संयुक्त आयुक्तालयों जहां दो या दो से अधिक आयुक्तालयों का सामान्य काडर हैं :— (i) सबंद्ध आयुक्तों पारसपरिक परामर्श से काडर नियंत्रण प्रधिकारी द्वीरा नाम निर्दिष्ट प्रत्येक आयुक्तालय से अपर आयुक्त, जिनकी अधिकतम संख्या तीन होगी (उनमें से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा)	लागू नहीं होता

13
(ii) काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित मुख्यालय कार्यालय के अधिमानत: ज्येष्ठतम दो उपायुक्त —सदस्य (iii) आयकर आयुक्त द्वारा नाम निर्देशित आयकर उप आयुक्त या सहायक आयुक्त —सदस्य **टिप्पण :** जहां उपर्युक्त क्रम संख्यांक (i) से (iii) में कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक समूह 'क' अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नत समिति के सदस्य रूप में सहयुक्त होगा।

1	2	3	4	5	6
2. आशुलिपिक श्रेणी-III	490* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	4000-100-6000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भर्ती अभिकरण द्वारा यथा विज्ञापित होगी।	(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य, और (ii) आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति हो।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में से एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित अधार पर सृदश पद धारण किए हुए हैं तथा जिनके पास स्तंभ (8) में विहित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं रखते हैं, से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के लिए :— (I) एकल आयुक्तालय वह आयुक्तालय जहां सामान्य काडर नहीं हैं। (i) काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित मुख्यालय का अपर आयुक्त —अध्यक्ष	लागू नहीं होता

13	14
(ii) काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित मुख्यालय कार्यालय के अधिमानत: ज्येष्ठतम दो उपायुक्त —सदस्य (iii) आयकर आयुक्त द्वारा नाम निर्देशित आयकर उप आयुक्त या सहायक आयुक्त —सदस्य **टिप्पण :** जहां उपर्युक्त क्रम संख्यांक (i) से (iii) में कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक समूह 'क' अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नत समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त होगा। (II) संयुक्त आयुक्तालयों जहां दो या दो से अधिक आयुक्तालयों का सामान्य काडर है :— (i) संबद्ध आयुक्तों से पारसरिक परामर्श से काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रत्येक आयुक्तालय से अपर आयुक्त, जिनकी अधिकतम संख्या तीन होगी (उनमें से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा) —अध्यक्ष (ii) काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित मुख्यालय कार्यालय के अधिमानत: ज्येष्ठतम दो उपायुक्त —सदस्य (iii) आयकर आयुक्त द्वारा नाम निर्देशित आयकर उप आयुक्त या सहायक आयुक्त —सदस्य **टिप्पण :** जहां उपर्युक्त क्रम संख्यांक (i) से (iii) में कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक समूह 'क' अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नत समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त होगा।	

[फा. सं. ए-12018/16/2003-प्रशा.-III (बी)]

एस. के. ठाकुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue

New Delhi, the 26th October, 2004

G.S.R. 710(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Excise and Land Customs Department Group 'C' posts Recruitment Rules, 1979, and the Customs Department (Group C) Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the post of Stenographer (Senior Grade), Stenographer (Ordinary Grade), Stenographer Grade II and Stenographer Grade III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group "C" posts of Stenographer Grade II and Stenographer Grade III in the Central Excise and Customs Depatement, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called Central Excise and Customs Department Stenographer Grade II and Stenographer Grade III Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Scale of Pay.—The number of said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule, annexed to these rules.

3. Special Provision.— (1) Each Commissionerate shall have its own separate cadre, unless otherwise directed by the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Board of Revenue Act, 1963 (54 of 1963) (herein referred to as Board);

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the jurisdictional Chief Commissioner of Central Excise or Chief Commissioner of Customs having jurisdiction over the concerned Commissionerate may, if he considers to be

necessary or expedient on compassionate grounds, orders that a post in the Central Excise Commissionerate or Customs Commissionerate which is to be filled by direct recruitment under these rules, should be filled by deputation of a person holding the same or comparable post but belonging to the cadre of another Commissionerate or Directorate or any other office under Board, as the case may be, subject to the condition that the deputation period will be for three years subject to the approval of the transferor and transferee cadre controlling authorities. Such transfers shall be with the specific condition that no deputation allowance shall be admissible for deputation basis.

4. Method of Recruitment, Age limit, other Qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification.— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post of non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Stenographer Grade II	490* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
7	8	9	10
Between 18 years and 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the recruiting agency.	(i) Matriculation or equivalent, and (ii) Speed of 100 words per minute in Shorthand (English or Hindi) and 40 words per minute in English typewriting or 30 words per minute in Hindi typewriting	Not applicable	Two years for direct recruits.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12
By promotion failing which by deputation, failing both, by direct recruitment. (Direct recruitment may be resorted to only when there is not enough feeder grade strength or when there is no possibility of filling up of the posts by deputation).	Promotion from amongst Stenographer Grade III having five years regular service in the grade. **Note :** If a junior person is considered for promotion on the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in that Grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered for promotion, notwithstanding that they may not have rendered the prescribed qualifying period of service in that grade but have completed successfully the prescribed period of probation. Deputation : Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the scale of Rs. 4000-100-6000; and (b) having a speed of 100 words per minute in Shorthand (English/Hindi) and 40 words per minute in English typewriting or 30 words per minute in Hindi typewriting. Period of deputation including the period in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee : **(I)** Single Commissionerate that is Commissionerates having no common cadre (i) The Additional Commissioner at Headquater office to be nominated by the cadre controlling authority —Chairman (ii) Two Deputy Commissioner preferably seniormost at Headquarter office to be nominated by the Cadre Controlling authority —Member (iii) The Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissoner of Income Tax —Member **Note :** Where none of the members specified at serial numbers (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Casts or the ScheduleTribes, a Group 'A' officer from outside the Depart-ment belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee. **(II)** Composite Commissionerates that is two or more Commissionerates having common cadre :— (i) The Additional Commissioer from each of the Commission-erates subject to a maximum of three to be nominated by cadre controlling authority by mutual consultation with commissioners concerned (the seniormost among them shall be the **Chairman**) (ii) The Deputy Commissioner preferably seniormost at Headquarters office to the nominated by the cadre con-trolling authority —Member	Not applicable.

13	
(iii) The Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax	—Member
Note : Where none of the members specified at serial numbers (i) to (iii) above belongs to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of the Department Promotion Committee.	

1	2	3	4	5	6
2. Stenographer Grade III	490* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	General Civil Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
Between 18 years and 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the recruiting agency.	(i) Matriculation or equivalent, and (ii) Speed of 80 words per minute in shorthand (English or Hindi) and 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting.	Not applicable	Two years

11	12
Direct recruitment through Staff Selection Commission **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up by deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (8).	Not applicable

13		14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :		Not applicable.
(I) Single Commissionerate that is Commissionerates having no common cadre :		
(i) The Additional Commissioner at Headquater office to be nominated by the cadre controlling authority	— Chariman	
(ii) Two Deputy Commissioner preferably seniormost at Headquarter office to be nominated by the Cadre Controlling authority	— Member	
(iii) The Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissoner of Income Tax	— Member	

13

Note : Where none of the members specified at serial numbers (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.

(**II**) Composite Commissionerates that is two or more Commissionerates having common cadre :—

(i) The Additional Commissioner from each of the Commissionerates subject to a maximum of three to be nominated by cadre controlling authority by mutual consultation with commissioners concerned (the seniormost among them would be the **Chariman**)

(ii) The Deputy Commissioner preferably seniormost at Headquarters office to be nominated by the cadre controlling authority —Member

(iii) The Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax —Member

Note : Where none of the members specified at serial numbers (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of the Department Promotion Committee.

[F. No. A-12018/16/2003-Ad. III (B)]
S. K. THAKUR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2008/ज्येष्ठ 7, 1930
No. 295] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2008/JYAISTHA 7, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2008

सा.का.नि. 408(अ).—राष्ट्रपति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग आशुलिपिक श्रेणी-2 और आशुलिपिक श्रेणी-3 भर्ती नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क विभाग आशुलिपिक श्रेणी-2 और आशुलिपिक श्रेणी-3 भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क विभाग आशुलिपिक श्रेणी-2 और आशुलिपिक श्रेणी-3 भर्ती नियम, 2004 की अनुसूची में, आशुलिपिक श्रेणी-3 से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तंभ 8 की मद (ii) में "और अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. ए-12018/03/2008-प्रशा. 3-बी]

शंकर लाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 710 (अ) तारीख 26 अक्तूबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2008

G.S.R. 408(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Excise and Customs Department Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Central Excise and Customs Department Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(ii) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Excise and Customs Department Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III Recruitment Rules, 2004, against serial number 2 relating to the post of Stenographer Grade-III, in Column 8, in item (ii), the words "and 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting" shall be omitted.

[F. No. A-12018/03/2008-Ad. III-B]

SHANKER LAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* No. G.S.R. 710(E), dated the 26th October, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2009/फाल्गुन 5, 1930
No. 97] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2009/PHALGUNA 5, 1930

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 113(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग आशुलिपिक श्रेणी 2 और आशुलिपिक श्रेणी 3 नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग आशुलिपिक श्रेणी-2 और आशुलिपिक श्रेणी-3 भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग आशुलिपिक श्रेणी-2 और आशुलिपिक श्रेणी-3 भर्ती नियम, 2004 की अनुसूची में,—

(क) आशुलिपिक श्रेणी-2 के पद से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने,—

(i) स्तंभ 7, 8 और 10 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"लागू नहीं होता ।"

(ii) स्तंभ 11 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा"

(iii) स्तंभ 12 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति :

5200—20200 रु. के वेतनमान और 2400 रु. के ग्रेड वेतन में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 3, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, से प्रोन्नति ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में, 5200—20200 रु. (पूर्वपुनरीक्षित 4000—6000 रु.) के वेतनमान और 2400 रु. ग्रेड वेतन में या समतुल्य वेतनमान में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 :—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 :—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"

(ख) आशुलिपिक श्रेणी 3 के पद से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ 7 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है ।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाए ।"

[फा. सं. ए-12018/06/2008-प्रशा. III (बी)]

के. के. खट्टर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 710(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 408(अ) तारीख 28 मई, 2008 तथा द्वारा उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2009

G.S.R. 113(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Excise and Customs Department Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise and Customs Department Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Excise and Customs Department Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III Recruitment Rules, 2004,—

(A) against serial number 1 relating to the post of Stenographer Grade-II,—

(i) in columns 7, 8 and 10 for the existing entries, the following entry shall be substituted, namely :—

"Not applicable"

(ii) in column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"By promotion failing which by deputation";

(iii) in column 12, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Promotion :

Promotion from Stenographer Grade-III in the scale of Rs. 5200—20200 and grade pay of Rs. 2400 with eight years regular service in the grade.

Deputation :

Officers of the Central Government :—

(a) (i) holding analogous post on regular basis, or

(ii) with eight years regular service in the pay scale of Rs. 5200—20200 (Pre-revised Rs. 4000—6000) and grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre/department.

Note 1 : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of Central Government shall ordinarily not exceeded three years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years on the closing date of receipt of application."

(B) against serial number 2, relating to the post of Stenographer Grade-III, in column 7 for the existing entries, the following entry shall be substituted namely :—

"18 to 27 years (relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission."

[F. No. A-12018/06/2008-Ad. III (B)]

K. K. KHATTAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 710(E), dated the 26th October, 2004 and subsequently amended *vide* Notification No. G.S.R. 408(E) dated 28th May, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.